निगरानी / टीए / 7187 / 2016 / बीकानेर
मूलसिंह बनाम डूंगरराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री जे.के.पन्त, अभिभाषक प्रार्थी। श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी। दिनांक : 21–08–2025 निर्णय यह निगरानी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 19 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 20–09–2016 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नं0 233 रकबा 13.96 हैक्टेयर भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता हेतु प्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17–03–2016 को स्वीकार करते हुए रास्ता डी0एल0सी0 दर से स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 20–09–2016 को प्रार्थी की अपील को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुनवाई, नोटिस दिए एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना एकतरफा में अस्पष्ट कारण रहित एक पक्षीय एवं नोनस्पीकिंग आदेश पारित किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीया के खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थी को रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जिसमें से ना तो अप्रार्थी द्वारा रास्ता मांगा गया और ना ही उक्त भूमि में रास्ता स्वीकृत किया केवल खसरा नं0 234 में से कोई रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ते का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए रास्ता केरली नाड़ी से सियाना गांव के तरफा जाने वाले मार्ग में से लक्ष्मणसिंह, नरपतसिह, के खेत में से वह अपने खेत खसरा नं0 233 में आता–जाता रहा है जो उसकी भूमि के दक्षिण की तरफ चिपता हुआ है और उस वैकल्पिक रास्ता को वह प्रयोग में लेता आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नहीं होते हुए भी प्रार्थी के खेत में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार को दिनांक 04–03–2015 को अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर केवल तीन बिन्दुओं पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया किन्तु तहसीलदार ने केवल खसरा नं0 335 एवं 234 के मध्य स्थित सींव में से रास्ता देना उचित माना है खसरा नं0 234 एवं 233 के मध्य अन्य खसरा स्थित होने की जानकारी नहीं देकर तहसील में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है तथा रास्ता की लम्बाई चौड़ाई एवं क्षेत्रफल के बारे में तथ्यात्मक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिससे कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 20–09–2016 एवं विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17–03–2016 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 20–09–2016 उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अंकित किया है कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी/डूंगरराम ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोखा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार नोखा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13–05–2015 में अंकन किया कि "खसरा नम्बर 233 में पहुंच हेतु ग्राम की तरफ से प्रथम तौर पर खसरा नम्बर 235 की उत्तरी माठ–2 उत्तरी पश्चिमी कोने से कटाणी मार्ग से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 233 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक पहुंच का 4 मीटर चौड़ा रास्ता अधिक उपयुक्त होगा।" प्रार्थी/प्रतिवादी अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य बताते है किन्तु उसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार नया रास्ता कायम किया तथा धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	251 ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–03–2016 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत मानते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 20–09–2016 को अपील के माध्यम से उसमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा जिसके आधार पर प्रार्थी / अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–03–2016 को बहाल रखा। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें इस निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–2016 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	